मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को मिलेगा 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार

जयपुर, 22 मार्च। वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को रोजगार की मांग किए जाने पर राज्य मद से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार अर्थात कुल 125 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोविड़ से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य मद से 25 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के लिए मस्टररोल नियमानुसार नरेगा सॉफ्ट से ही जारी किये जाएंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार केवल उन्हीं परिवारों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्होंने 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लिया हो। विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है।

_&&&_